न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 893 दिनांक : 15/07/2025

तहसीलदार,
तहसील, जालसू,
जयपुर।

विषयः—प्रकरण संख्या 95 / 2024 बउनवानी रतनलाल बनाम मानाराम वगै0 में निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.07.2025 की पालना में पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद संख्या 95 / 2024 बउनवानी रतनलाल बनाम मानाराम वगै0 में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 10.07.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो पालना कर पालना रिपोर्ट अतिशीघ्र न्यायालय में भिजवायें।

संलग्नः—1. प्रतिलिपि निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.07.2025
2. नक्शा ट्रेस

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:16 IST
Reason: SelfAttested

phone no. : 0141-2209013 (O) Email: acm.amer.jpr@gmail.com

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

5/18 रतनलाल बनाम भागाराम

संख्या : 95/25

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10-7-25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी की बहस सुनी गई। कुर्सीनामा पर कोई आपत्ति नहीं की अतः तहसीलदार जालसू की कुर्सीनामा के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। पत्रावली में निर्णय डिक्री प्रपत्र से लिखवाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	तहरीरशुदा 893 13/07/2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 95/2024

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 95/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक – 25.10.2024

रतन लाल पुत्र रामचन्द्र जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।

–वादी

बनाम

1. मानाराम पुत्र अगराराम
2. रमेश जाखड पुत्र मानाराम
3. रिछपाल पुत्र मानाराम
   जाति जाट निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।
4. राजू पुत्र रामचन्द्र जाति बागडा निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक कार्यालय जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर ।

–प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

दिनांक 10.07.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम पूनाना पटवार हल्का पूनाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित खाता सख्या नया 215 पुराना 198 के खसरा नम्बर 944 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 945 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 946/1266 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 948 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 949 रकबा 0.5600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 950 रकबा 1.1500 हैक्टेयर कुल 6 कुल रकबा 3.4500 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी हिस्सा 5/18 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व अंकित है। तथा शेष हिस्सानुसार राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में प्रतिवादीगण का दर्ज अंकित है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादी उपरोक्त वर्णित खाते की उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि [illegible] हिस्से की भूमि पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निर[illegible] च[illegible] रहा है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करता आ रहा है कि उक्त वर्णित खसरान् की भूमि को एतपश्चात् "वादअधीन कृषि भूमि" शब्द से संबोधित किया [illegible] रहा है। वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक तकासमा नहीं हुआ है इसलिये वादी एव प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर निरन्तर काबिज चलें आ रहें है। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एंव अंकित चली आ रही है इसलिये वादी ने समय–समय पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को वाद अधीन कृषि भूमि

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 95/2024
बउनवानी – रतनलाल बनाम गानाराम वगै0
निर्णय दिनांक :–10.07.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर, जयपुर

का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरतें रहें परन्तु अब चूँकि कृषि भूमियों की बाजार दर में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की नियत में फितुर आ गया और वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द कर विक्रय करने हेतु उतारू हो गये। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय–हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 उक्त गैर कानूनी व विधि विरूद्ध तरीके से वादी को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से बेदखल करने एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा कर एंव विशिष्ठ भू–भाग पर विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इस संबंध में वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को दिनांक 12–10–2024 को वादअधीन भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन कराने हेतु साफ इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ने वादी को एलानियां धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर वह विक्रय हस्तान्तरण करेगें तथा उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दम लेगें। इसलिये तुम वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से अपना कब्जा हटा लो अन्यथा बाहुबल के आधार पर तुमको बेदखल कर दिया जायेगा। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग को, विक्रय–हस्तान्तरण एंव खुर्द–बुर्द करने एंव वादी को विशिष्ठ भू–भाग से बेदखल करने के कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। चूँकि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 कानून को ताक में रख कर कानून को हाथ में लिया है। चूँकि प्रतिवादीगण गैर कानूनी तरीके से वादी को उसके खातेदारी व विधिक अधिकारों से वंचित करने पर तुले हुए है इसलिये वादी वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन करवा कर अपने हिस्से की खातेदारी व कब्जा–काश्तशुदा कृषि भूमि की अपनी पृथक खातेदारी में दर्ज करवाने, राजस्व लगान एंव राजस्व नक्शा पृथक करवाने का अधिकारी है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 20.03.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिकी किया गया तदनुसार तहसीलदार आमेर जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके राजस्व ग्राम पूनाना पटवार हल्का पूनाना भू अभिलेख

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 95/2024
बउनवानी – रतनलाल बनाम मानाराम वगै0
निर्णय दिनांक :–10.07.2025

निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर स्थित खाता सख्या नया 215 पुराना 198 के खसरा नम्बर 944 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 945 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 946/1266 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 948 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 949 रकबा 0.5600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 950 रकबा 1.1500 हैक्टेयर कुल 6 कुल रकबा 3.4500 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी गें अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025 /2156 दिनांक 19.06.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. मानाराम पुत्र अमराराम हि. 575/15333 जाति जाट, सा. देह खातेदार, रमेश जाखड हि. 3833/15333 जाति जाट, सा. देह खातेदार, रिछपाल पुत्र मानाराम हि. 575/15333 जाति जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 944 रकबा 0.40 हैक्टेयर, 945 रकबा 0.63 हैक्टेयर, 946/1266 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 948/1 रकबा 0.45 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.5333 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. रतनलाल पुत्र रामचंद्र जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 950/2 रकबा 0.9583 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. राजू पुत्र रामचंद्र जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 948/2 रकबा 0.2067 हैक्टेयर, 949 रकबा 0.56 हैक्टेयर, 950/1 रकबा 0.1917 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.9584 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन शर्मा
आर.ए.एस

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 95/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक – 25.10.2024

रतन लाल पुत्र रामचन्द्र जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।

–वादी

बनाम

1. मानाराम पुत्र अमराराम
2. रमेश जाखड पुत्र मानाराम
3. रिछपाल पुत्र मानाराम
   जाति जाट निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।
4. राजू पुत्र रामचन्द्र जाति बागडा निवासी ग्राम पूनाना तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक कार्यालय जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर ।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. मानाराम पुत्र अमराराम हि. 575/15333 जाति जाट, सा. देह खातेदार, रमेश जाखड हि. 3833/15333 जाति जाट, सा. देह खातेदार, रिछपाल पुत्र मानाराम हि. 575/15333 जाति जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 944 रकबा 0.40 हैक्टेयर, 945 रकबा 0.63 हैक्टेयर, 946/1266 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 948/1 रकबा 0.45 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.5333 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. रतनलाल पुत्र रामचंद्र जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 950/2 रकबा 0.9583 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. राजू पुत्र रामचंद्र जाति बागडा ब्राहमण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 948/2 रकबा 0.2067 हैक्टेयर, 949 रकबा 0.56 हैक्टेयर, 950/1 रकबा 0.1917 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.9584 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसखत गेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10.07.2025 को जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:16 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत–––
ओहदा–––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 95/2024
बउनवानी – रतनलाल बनाम मानाराम वगै0
निर्णय दिनांक :–10.07.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,

नीम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर रामपुरा डाबड़ी के वाद संख्या 95/2024 उनवान रतनलाल बनाम मानाराम व अन्य में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27/3/25 की पालना में ग्राम पूनाना के आराजी ख.न. 944, 945, 946/1266, 948, 949, 950 कुल किता 06 कुल रकबा 3.45 हैक्टर पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु नोटिस दिनांक 28/5/2025 की पालना में आज दिनांक 9/6/2025 को बहमराह उपतहसीलदार जालसू/मुण्डोता, भू.अ.नि. हल्का जयसिंहपुरा मय पूनाना के साथ मौके पर उपस्थित काश्तकारान की उपस्थिति में निम्न प्रकार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई।

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि

जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	ख. न.	रकबा	किस्म	लगान
① मानाराम पुत्र अमराराम हिस्सा 1/6 जाति जाट साकिन देह खातेदार ② रतन पुत्र रामचन्द्र हि० 5/18 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार ③ रमेश जाखड़ पुत्र मानाराम जाखड़ हिस्सा 1/9 जाति जाट सा० देह खातेदार ④ राजू पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 5/18 जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार ⑤ रिद्धपाल पुत्र मानाराम हि० 1/6 जाति जाट सा० देह खातेदार	944 945 946/1266 948 949 950	0.40 0.63 0.05 0.66 0.56 1.15	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	6.90
कुल खसरे	06	3.45		6.90

कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्र. सं.	प्रस्तावित प्रविष्टि कुरेजात रिपोर्ट अनुसार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	① मानाराम पुत्र अमराराम हि० 575/15333 जाति जाट सा. देह खातेदार ② रमेश जाखड़ पुत्र मानाराम जाखड़ हि. 3833/15333 जाति जाट सा. देह खातेदार ③ रिद्धपाल पुत्र मानाराम हि० 575/15333 जाति जाट सा० देह खातेदार	944 945 946/1266 948/2	0.40 0.63 0.05 0.45	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3 [illegible]	
	कुल खसरा	04	[illegible]		
2.	रतनलाल पुत्र रामचन्द्र जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार	950/2	0.9583	बारानी 3	
	कुल खसरा	01	0.9583		
3.	राजू पुत्र रामचन्द्र जाति बागड़ा ब्राह्मण सा० देह खातेदार	948/2 949 950/1	0.2067 0.56 0.1917	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	
	कुल खसरा	03	0.9584		

भू.अ.नि. जयसिंहपुरा 9/6/2025

9.6.2025

09/6/25
उप तहसीलदार
मुण्डोता तह.–जालसू

09/6/25
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील, जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:16 IST
Reason: SelfAttested

...बनाम मानाराम वगै0
प्रकरण संख्या – 95/2024

RAA/745/25/1220.../01...

नकल नक्शा ट्रेस
ग्राम पूनाना
प०स०- पूनाना
तहसील- जालसू
पैमाना- 1cm= 40m

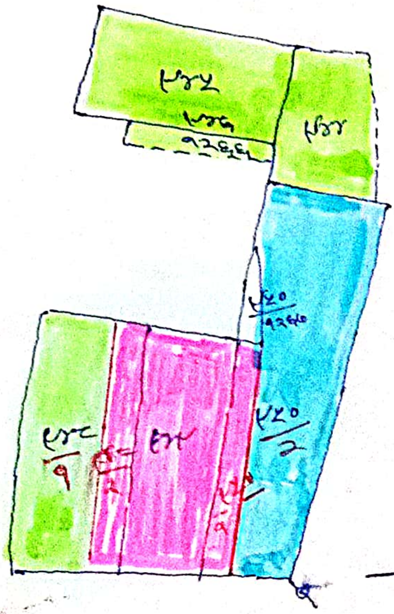

पटवारी
9-6-2025

भू.अ. निरीक्षक
9/6/2025

मानाराम पुत्र अमराराम
रमेश जाखड़ पुत्र मानाराम
रिछपाल पुत्र मानाराम

रतनलाल पुत्र रामचन्द्र

राजू पुत्र रामचन्द्र

उपतहसीलदार
... जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 12:03:16 IST
Reason: SelfAttested

09/6/25
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील, जालसू